

20.3.2024 . वकुलाए फरिखेन उपरिपत प्रसिक्ती सं०। 395
 ने एरिभे वहीन बिगोद राहड उपरिपत आकरतीकवाल
 हावा पेरा बिवा बिसे शाखिल फरिल बिवा रावा प्रसिक्ती
 पाठे वरेर लकण आरिदा ली/4 22. सु. 2024 के
 पेरा हो।

के. वि.
 पुष्पा

म

22.3.2024

मनोहर शर्मा

पुष्पा/PU मीठा मीठ
 मीठा मीठा मीठा मीठा मीठा
 मीठा मीठा मीठा मीठा मीठा
 मीठा मीठा मीठा मीठा मीठा

प्रसिक्ती

26.3.2024 वकुलाए फरिखेन उपरिपत/वहल
 चामेवीर 962m सुनी ठी। प्रसिक्ती का अनलोकन बिगोद।

प्र. मनी
 मनी

प्रसिक्ती पर उपलब्ध हीकरी अडी प्रसिक्ती की
 आपकी सहमती के आधार पर वाद की डिक्लीरिफ
 जाहा है। पूर्ण सिवाव साहित्य मिश्रि अलग से
 लिखाया जाकर शाखिल फरिल बिवा जके प्रसिक्ती
 फलाम्ब से काग की जाकर आड लकीक लकीक
 जाहल शाखिल हफतर हो।

म



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 261/2023 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

महेन्द्र पुत्र मनफूलराम जाति स्वामी निवासी 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ राज0।

-वादी

बनाम

1. मनफूलराम पुत्र नानुराम जाति स्वामी निवासी 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।
2. धर्मवीर पुत्र मनफूल जाति स्वामी निवासी 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।
3. रामप्रताप पुत्र मनफूल जाति स्वामी निवासी 9 डी.डब्ल्यू.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़, राज0।
4. गौरादेवी पुत्री मनफूल पत्नी पतराम जाति स्वामी निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राज0।
5. पुष्पा पुत्री मनफूल पत्नी देवीलाल जाति स्वामी निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़, राज0।
6. मोहनीदेवी पुत्री मनफूल पत्नी हंसराज स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज0।
7. सरोज देवी पुत्री मनफूल पत्नी नेतराम जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा लडाना तहसील सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज0।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादी

श्री विनोद राहड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 8

निर्णय दिनांक- 26.3.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादी महेन्द्र को चक नम्बर 8 डीडब्ल्यूएम के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 153/51(24) के किला नम्बर 11, 12, 19, 20, 21/2, 22/2 की 1.4680 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,
2. प्रतिवादी संख्या 1 मनफूल को चक नम्बर 8 डीडब्ल्यूएम के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 153/43(25) के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 15/1 की 1.1380 हैक्टेयर कमाण्ड व पत्थर नम्बर 153/51(24) के किला नम्बर 1, 9, 10 की 0.7590 हैक्टेयर कमाण्ड इस प्रकार कुल 1.8970 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,
3. प्रतिवादी संख्या 2 धर्मवीर को चक नम्बर 8 डीडब्ल्यूएम के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 153/43(25) के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10 की 1.5180 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का,

26/3/23

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर



4. प्रतिवादी संख्या 3 रामप्रताप को चक नम्बर 8 डीडब्ल्यूएम के खाता संख्या 29/32 के पत्थर नम्बर 153/51(24) के किला नम्बर 2, 3, 8, 13, 18, 23/2 की कुल 1.4930 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.3.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
समर्पण अधिकारी
सपरग्राम अधिकारी
रावतसर